28.06.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री श्याम सिंह पुत्र श्री नानुराम रूनडला,(विक्रेता, मालिक), निवासी ग्राम पो. पटवारी का बास, तह. खण्डेला जिला सीकर, मैसर्स– विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन एच 52, बार्डर सरगोठ जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.01.2023 को समय 03:00 पी.एम. पर सरगोठ, सीकर में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन एच 52, बार्डर सरगोठ जिला सीकर पर पहुंचा। वहां पर श्याम सिंह पुत्र श्री नानुराम रून्डला,(विक्रेता) द्वारा पनीर विक्रय एवं भोजन निर्माण हेतु रखा पाया गया। वहां पर विक्रेता को मैंने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। श्री श्याम सिंह से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2023 होना बताया।

मैसर्स विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट द्वारा पनीर का विक्रय एवं भोजन निर्माण के लिए काम में लिया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध एक डीप फ्रीजर में 24 किलो पनीर विक्रय के लिए रखा हुआ पाये गये में मिलावट की शंका पर वास्ते जांच नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमुना जांच हेतु 1 किलो पनीर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्याम सिंह को 300 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–3231 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 20,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एव आते. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 16:05:47 IST
Reason: SelfAttested